न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 09/2021–22

गनौरी साह बनाम् रैयान मौजा–मोरडीहा

–: आदेश :–

31.01.2023

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक गनौरी साह, पे0–चमरू साह एवं पंकज कुमार चौधरी, पे0–अवधेश चौधरी, दोनों साकिन–मोरडीहा, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–5 के तहत मौजा–मोरडीहा नं0–216 के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी का पत्रांक–304/रा0 दिनांक–15.07.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मोरडीहा नं0–216 एक खास मौजा है। उक्त मौजा के खतियान एवं पंजी–II में किसी भी पूर्व ग्राम प्रधान का नाम दर्ज नहीं है। साथ ही आवेदकगण के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे आवेदित मौजा के प्रधानी मौजा होने की पुष्टि हो सके। चूँकि मौजा–मोरडीहा एक खास मौजा है एवं प्रधानी मौजा होने के सबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रधानी मौजा घोषित किये बिना उक्त मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–मोरडीहा नं0–216 एक खास मौजा होने एवं प्रधानी मौजा नहीं रहने के कारण आवेदक गनौरी साह, पे0–चमरू साह एवं पंकज कुमार चौधरी, पे0–अवधेश चौधरी, दोनों साकिन–मोरडीहा, थाना व अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के समर्पित आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

31.01.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

31.01.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
12/04/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 15:11:08 +05:30
Location: 192.168.8.116

F/Order.